न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 126/2012

1 ओमप्रकाश पुत्र मालीराम आयु 59 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 22 चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 गीता देवी पुत्री अणची देवी पत्नी गिरधारीलाल जाति कुम्हार निवासी सोमनिया के कुएं के पास मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनू।
2 शांति देवी पुत्री अणची देवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति कुम्हार निवासी बाईपास रोड़ के पास सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
3 सावित्री पुत्री अणची देवी पत्नी श्यामसुन्दर जाति कुम्हार निवासी बड़ी मस्जिद के पास लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
4 बच्चन सिंह उर्फ बचनलाल पुत्र कानाराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 21 चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
5 कमला प्रसाद पुत्र कानाराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 21 चिड़ावा जिला झुंझुनू।
6 सीता पुत्री मनोहरलाल पत्नी बनवारीलाल जाति कुम्हार निवासी खेड़ली जिला अलवर।
7 सुभाष पुत्र मनोहरलाल।
8 मीरा देवी पत्नी मनोहरलाल।
9 नवीन कुमार पुत्र कमला प्रसाद समस्त जाति कुम्हार निवासीगण चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
10 मृतक सागरराम पुत्र बुजाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

10/1 ज्ञानचन्द पुत्र सागरराम।
10/2 रामचन्द्र पुत्र सागरराम।
10/3 सांवरमल पुत्र सागरराम।
10/4 मंजु पुत्री सागरराम समस्त जाति माली निवासीगण वार्ड नम्बर 21 चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
11 विश्म्भरलाल पुत्र मंगतूराम।
12 मुरारीलाल पुत्र विश्म्भरलाल समस्त जाति कुम्हार निवासीगण वार्ड नम्बर 23 चिड़ावा जिला झुंझुनू।
13 उप पंजियक अधिकारी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
14 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 03.05.11 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा जिला झुंझुनू बमुकदमे उनवानी अणची देवी बनाम बच्चन सिंह वगैरह मुकदमा नम्बर 26/2010 दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

अपील संख्या 21/2021

1 ओमप्रकाश आयु 67 वर्ष पुत्र मालीराम जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 22 चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

बनाम

1 बच्चन सिंह पुत्र कानाराम।
2 कमला प्रसाद पुत्र कानाराम।
3 प्रभुदयाल पुत्र बच्चनलाल समस्त जाति कुम्हार निवासीगण वार्ड नम्बर 21 चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
4 विरेन्द्र पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी किढ़वाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
5 राजेश पुत्र शिवचन्द जाति जाट निवासी बख्तावरपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
6 राजेन्द्र सिंह पुत्र हरनारायण जाति जाट निवासी ठिचोली तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
7 ज्ञानचन्द पुत्र सागरमल।
8 रामचन्द्र पुत्र सागरराम।
9 सांवरमल पुत्र सागरराम।
10 मंजू पुत्री सागरराम।
11 कृष्णा देवी पत्नी सांवरमल समस्त जाति माली निवासीगण वार्ड नम्बर 21 चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
12 देवेन्द्र सिंह पुत्र मातुसिंह जाति राजपूत निवासी सेही कलां तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
13 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.05.2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा बमुकदमे उनवानी बचनसिंह आदि बनाम विरेन्द्र आदि मुकदमा नम्बर 176/2012 दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

अपील संख्या 23 / 2021

1 ओमप्रकाश आयु 67 वर्ष पुत्र मालीराम जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 22 चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 बच्चन सिंह पुत्र कानाराम।
2 कमला प्रसाद पुत्र कानाराम।
3 प्रभुदयाल पुत्र बच्चनलाल समस्त जाति कुम्हार निवासीगण वार्ड नम्बर 21 चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
4 विरेन्द्र पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी किढ़वाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
5 राजेश पुत्र शिवचन्द जाति जाट निवासी बख्तावरपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
6 राजेन्द्र सिंह पुत्र हरनारायण जाति जाट निवासी ठिचोली तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
7 ज्ञानचन्द पुत्र सागरमल।
8 रामचन्द्र पुत्र सागरराम।
9 सांवरमल पुत्र सागरराम।
10 मंजू पुत्री सागरराम।
11 कृष्णा देवी पत्नी सांवरमल समस्त जाति माली निवासीगण वार्ड नम्बर 21 चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

12 देवेन्द्र सिंह पुत्र मातुसिंह जाति राजपूत निवासी सेही कलां तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
13 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.05.2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा बमुकदमे उनवानी बचनसिंह आदि बनाम विरेन्द्र आदि मुकदमा नम्बर 176/2012 दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा।

उपस्थिति :

1. श्री मोहम्मद रफीक, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री द्वारका प्रसाद, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 24.11.2021

यह तीनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 26/2010 में पारित निर्णय दिनांक 03.05.2011 एवं 176/2012 में पारित निर्णय दिनांक 04.05.2012 एवं 14.05.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। तीनो अपीलों के तथ्य एवं विवादित भूमि समान होने से तीनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां तीनों पत्रावलीयों में पृथक—पृथक रखी जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अणची देवी एवं वादी विरेन्द्र वगैरह की ओर से भूमि खसरा नम्बर 120,121 वाके ग्राम सेहीकंला तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू बाबत घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा के पृथक–पृथक वाद प्रस्तुत किये है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिकी किया है। इससे व्यथित होकर अपीलांट की ओर से तीन पृथक–पृथक अपीले प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट विवादित भूमि मे 1/3 हिस्से की भूमि जरिये पंजिकृत विकय पत्र कय कर काबिज खातेदार काश्तकार है। अपीलांट के विकय पत्र को कभी भी चुनौती नही दी गई है। विवादित भूमि पर वादिया का कब्जा काश्त नही है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। विचारण न्यायालय ने तनकीवार विवेचन कर निर्णय पारित नही किया है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का भी कोई विवेचन नही किया है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलांट जो कि पंजिकृत विकय पत्र से खातेदार दर्ज हुआ है, उसकी खातेदारी समाप्त नही की जा सकती है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई विवेचन नही कर विधिक त्रुटि की है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय को विधिक प्रकिया की पालना कर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर आदेश 20 नियम 5 की पालना में तनकीवार विवेचन कर निर्णय पारित करना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने ऐसा नही कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अपीलांट ने न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपील प्रस्तुत करने मे हुये विलम्ब को कन्डोन किये जाने का निवेदन कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपीलांट ने बावजुद तामील विचारण न्यायालय में चाराजोही नही की है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर बाद सुनवाई विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किये है। इनमे कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट विवादित भूमि मे 1/3 हिस्से की भूमि जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र क्रय कर काबिज खातेदार काश्तकार है। अपीलांट के विक्रय पत्र को कभी भी चुनौती नही दी गई है। विवादित भूमि पर वादिया का कब्जा काश्त नही है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। विचारण न्यायालय ने तनकीवार विवेचन कर निर्णय पारित नही किया है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का भी कोई विवेचन नही किया है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलांट जो कि पंजिकृत विक्रय पत्र से खातेदार दर्ज हुआ है, उसकी खातेदारी समाप्त नही की जा सकती है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई विवेचन नही कर विधिक त्रुटि की है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय को विधिक प्रकिया की पालना कर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर आदेश 20 नियम 5 की पालना में तनकीवार विवेचन कर निर्णय पारित करना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने ऐसा नही कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपील प्रस्तुत करने मे हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाते है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि दोनो वादो को समेकित कर अपीलांट को जवाब दावा, साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.12.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर